

प्रार्थी  
कोकाराम पुत्र कालाराम जाति  
गरासिया साकिन कोयलवाव  
तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी  
तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :- /2021

बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक : 16.11.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण कैम्प में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोयलवाव के खसरा न. 215, 216, 218, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 345, 349, 350, 350, 351 कुल खसरा 29 रकबा 4.5400 हे. भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम कुकाराम पुत्र काला दर्ज हैं तथा अतः रेकर्ड को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कोकाराम पुत्र कालाराम करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार संख्या 02 पर प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम कुकाराम पुत्र काला दर्ज हैं, जबकि प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम कोकाराम पुत्र कालाराम प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोयलवाव ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरुस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंसा की हैं।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम कोयलवाव के खसरा न. 215, 216, 218, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 345, 349, 350, 350, 351 कुल खसरा 29 रकबा 4.5400 हे. भूमि में दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम कुकाराम पुत्र काला को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कोकाराम पुत्र कालाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष सभी इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी बाली  
कैम्प : कोयलवाव

आदेश आज दिनांक 16.11.2021 मजमें कैम्प कोयलवाव में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाली  
कैम्प : कोयलवाव